No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 26.08.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2020 is enclosed for information.

26/8/20

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JULY, 2020

(1) NOTIFICATIONS:-

(i) The Ministry vide notification no. S.O. 2445(E) dated 24.07.2020 has designated the Special Court in the State of Assam for speedy trial of offences under section 435(2) (b) of the Companies Act, 2013. (Notification No. S.O. 2445 (E), dated 24.07.2020).

(ii) The Ministry vide notification no. G.S.R. 463(E) dated 24.07.2020 has amended the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 to keep the Ind AS in line with the IFRS standards. Through this amendment, the words "Business" and "Material" have been redefined in Ind AS 103 and Ind AS 1 respectively and a new paragraph has been inserted in Ind AS 109 with heading "6.8 Temporary exceptions from applying specific hedge accounting requirements". A temporary exemption from the manner in which lease standards shall be applicable due to the moratorium accorded for payment of lease rentals has also been provided in Ind AS 116 leases. (Notification No. G.S.R. 463(E) dated 24.07.2020)

(2) CIRCULARS:-

Through the General Circular No. 26 of 2020 dated 06.07.2020 the Ministry has extended, by sixty more days, the time limit for filing of Form NFRA-2 (Annual return to be filed by auditor with the National Financial Reporting Authority) for the reporting period Financial Year 2018-19.

(3) AMENDMENT IN THE COMPANIES ACT, 2013

The Ministry is considering, subject to due approvals, promulgation of an Ordinance [Companies (Amendment) Ordinance, 2020] for implementing the amendments proposed through the Companies (Amendment) Bill, 2020. A Cabinet Note in this regard has been forwarded to the Cabinet Secretariat on 27th April, 2020 for obtaining approval of

the Cabinet. Subsequently, a Supplementary Cabinet Note has been sent on 19th May, 2020. The proposal is likely to be considered by the Cabinet shortly.

(4) The Competition Commission of India (CCI) received seven fresh combination notices and seven Anti-trust cases. Furthermore, CCI decided a total of seventeen Anti-trust cases and approved six combination cases in July, 2020.

(5) The Competition Commission of India, based on various references from different Railway zones, under section 27 of the Competition Act, passed an order dated July 10, 2020 directing RDSO's approved Composite Brake Block Manufacturers (Ops) to cease and desist from indulging in anti-competitive practices in a matter related to cartelization in bidding for certain tenders of Indian Railways.

(6) Central Board of Direct Taxes (CBDT) permits Income Tax Authorities to share information or details in its possession with CCI/DG-CCI by including CCI/DG-CCI in the list of authorities under Section 138 of the Income Tax Act 1961 vide notification dated 30.07.2020 which would go a long way in robust enforcement of the Competition law.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह जुलाई, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

(1) अधिसूचनाएं

(i) मंत्रालय ने तारीख 24.07.2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2445(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435(2)(ख) के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर शीघ्र विचारण करने के लिए असम राज्य में विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट किया है। (तारीख 24.07.2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2445(अ))।

(ii) मंत्रालय ने तारीख 24.07.2020 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(अ) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में संशोधन किया है ताकि इंडएएस को आईएफआर एस मानकों के अनुरूप रखा जा सके। इस संशोधन के द्वारा क्रमशः इंडएएस 103 और इंडएएस I में "व्यापार" और "सामग्री" शब्दों को पुनः परिभाषित किया गया है और इंडएएस 109 में एक नया पैराग्राफ अंतःस्थापित किया गया है जिसका शीर्षक "विशिष्ट हेज लेखांकन आवश्यकताओं से 6.8 अस्थायी अपवाद" है। इंडएएस 116 पट्टों में उस रीति से भी अस्थायी छूट दी गई है जिसमें लीज रेटलों के भुगतान के लिए दिए गए अधिस्थगन के कारण पट्टे संबंधी मानक लागू होंगे (तारीख 24.07.2020 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(अ))

(2) परिपत्र:-

तारीख 06.07.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 2020 के द्वारा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए फार्म एनएफआरए-2 (वार्षिक विवरणी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखा परीक्षक द्वारा दाखिल की जाएगी) दाखिल करने की समय-सीमा और साठ दिनों के लिए बढ़ा दी है

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

मंत्रालय, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों को कार्यान्वित करने के अनुमोदनों के अध्यधीन, एक अध्यादेश [कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2020]

के प्रख्यापन पर विचार कर रहा। इस संबंध में एक मंत्रिमंडल नोट मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 27 अप्रैल, 2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया गया है। इसके बाद 19 मई, 2020 को एक अनुपूरक मंत्रिमंडल नोट भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा शीघ्र विचार किए जाने की संभावना है।

(4) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सात नए कंबिनेशन नोटिस और सात एंटी-ट्रस्ट मामले प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, सीसीआई ने जुलाई, 2020 में कुल सात एंटी ट्रस्ट मामलों में निर्णय दिया और छह कम्बीनेशन मामलों को अनुमोदित किया।

(5) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अलग-अलग रेलवे जोनों से प्राप्त विभिन्न संदर्भों के आधार पर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम कीं धारा 27 के अंतर्गत 10 जुलाई, 2020 को एक आदेश पारित किया जिसमें आरडीएसओ के अनुमोदित कंपोजिट ब्रेक ब्लाक विनिर्माताओं (ओपीएस) को भारतीय रेल की कुछ निविदाओं के लिए बोली लगाने में कार्टेलाइजेशन से संबंधित मामले को बंद करने और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से अलग रहने का निदेश दिया।

(6) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तारीख 30.07.2020 की अधिसूचना द्वारा आयकर प्राधिकारियों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 के अंतर्गत प्राधिकरणों की सूची में सीसीआई/डीजी-सीसीआई को शामिल कर सीसीआई/डीजी-सीसीआई को अपने पास रखी सूचनाएं और ब्यौरे साझा करने की अनुमति देता है जिससे प्रतिस्पर्धा विधि का सुदृढ़ रूप में प्रवर्तन करने में मदद मिलेगी।